

प्रपत्र-2

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क.सं.	परियोजना विवरण :-	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रु० 130.56 लाख (प्रथम चरण सर्वेक्षण एवं वन भूमि प्रस्ताव आदि कार्यों हेतु। शासनादेश की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है) वन भूमि स्वीकृति उपरान्त निर्माण हेतु शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जायेगी।
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	विस्तृत औचित्य प्रस्ताव में संलग्न है।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	प्रस्ताव में संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मार्ग निर्माण के दौरान लगभग 60-65 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ही नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे युवाओं का शहरों की ओर पलायन रुकेगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	आरक्षित वन भूमि- 2.641 है० सिविल सोयम वन भूमि - 2.823 है० वन पंचायत भूमि - 1.489 है० कुल वन भूमि - 6.953 है० नाप भूमि - 0.243 है० कुल भूमि :- 7.196 हैक्टेयर (कच्चा ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण हेतु)
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हो,	आवश्यकता नहीं है।
	क) परिवारों की संख्या	लागू नहीं है।
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं है।
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।

4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	मोटर मार्ग कच्चा निर्मित होना है। अतः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सामान्य नियमों के अन्तर्गत दुगुने सिविल सोयम भूमि में वनीकरण हेतु 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राविधान करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण आंगणन एव मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण का आंगणन वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्ताव में लगाया गया है। वृक्षारोपण व्यय, एन0पी0वी0 तथा मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पौधारोपण में आने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा बहन करने सम्बन्धी बचनबद्धता भी प्रस्ताव में संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं एवं हस्ताक्षरित है।

दिनांक 22/8/2017
स्थान- बागेश्वर

प्रयोक्ता ऐजेन्सी के हस्ताक्षर, नाम, मुहर


(नवल किशोर द्विवेदी)
सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, ला0नि0वि0
बागेश्वर


(राजेश कुमार पुनेठा)
अधिसासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, ला0नि0वि0
बागेश्वर

प्रस्ताव की कम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)